रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 41] नई दिल्ली, अक्तूबर 6—अक्तूबर 12, 2013, शनिवार/आश्विन 14—आश्विन 20, 1935

No. 41] NEW DELHI, OCTOBER 6—OCTOBER 12, 2013, SATURDAY/ASVINA 14—ASVINA 20, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2013

सा.का.नि. 243.—एतद्द्वारा राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य के निदेशक के कार्यालयों में असांविधिक विभागीय कैंटीनों में हलवाई-सह-रसोइया, सहायक हलवाई-सह-रसोइया और लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य के निदेशकों के कार्यालय, हलवाई-सह-रसोइया, सहायक हलवाई-सह-रसोइया एवं लिपिक (असांविधिक विभागीय कैंटीन) भर्ती नियम, 2013 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अनुप्रयोग.—ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।